

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी 2015—फाल्गुन 5, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2015

क्र. एफ 19-112-2014-1-4.—सी.आर.पी.एफ. को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1,2,3,4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा तहसील हुजूर जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) के ग्राम बंगरसिया के निम्नांकित सर्वे नम्बरान की भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शाई गई हैं, रकबा 249.23 एकड़ सी.आर.पी.एफ. को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिये फायरिंग रेंज सह एक्सल्यूट सेफ्टीजोन दिनांक 1-2-2015 से 31-1-2035 के समाप्त होने वाले 20 वर्ष की कालावधि के लिये निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगा:—

- (1) सेना सुरक्षा विभाग अपनी भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा.
- (2) सेना सुरक्षा विभाग को फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाये नियमों का पालन करना होगा.
- (3) एक्सल्यूट सेफ्टीजोन के अंतर्गत दर्शाई गई भूमियों में सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन-धन हानि हो, इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.
- (4) अभ्यास के दौरान सार्वजनिक आवागमन बंद नहीं होगा, मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा, अभ्यास दिवस में आवागमन बन्द किये जाने की स्थिति में आवागमन के रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बन्द कराना होगा.
- (5) उक्त फील्ड फायरिंग रेंज में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते, परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज के सेफ्टीजोन में बड़े वृक्षों के साथ छोटे वृक्षों का वृक्षारोपण सेना सुरक्षा विभाग को विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा ताकि वृक्षारोपण कॉम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो.

(6) फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा. इस दौरान कोई हानि होती है तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.

(7) मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के दौरान जन-हानि, पशु हानि, फसल हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा. उक्त रेंज के अन्तर्गत एवं आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी.

(8) सेना सुरक्षा विभाग से लिखित वचन-पत्र लिया जाये की भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में भी यदि कोई शर्तों निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होगा.

(9) भू-रेखांक एवं क्षेत्र के ब्यौरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण कलेक्टर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकेगा. क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

### अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	रा.नि.मण्डल	प. ह. नं.	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	बंगरसिया	03	05	05	19.56
						06	11.64
						09	5.98
						10	1.07
						11	3.70
						12/1	172.00
						14/1	23.38
						84/1	00.90
						662	3.97
						663	7.03
						योग . .	249.24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.